

*प्रेस विज्ञप्ति**थाना पवई**अवैध देशी शराब की तस्करी करने वाले दो गिरफ्तार, 927 पच्चे अवैध देशी शराब भी बरामद*

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम क्षेत्र में मामूर थे कि क्षेत्र में श्री नीरज सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -4 जनपद आजमगढ़ मय हमराही कर्मचारीगण के साथ मिले जिसके उपरांत सभी अवैध शराब के निर्माण व विक्रय के रोकथाम के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की गना में अवैध मदिरा की बिक्री हो रही है इस सूचना पर पुलिस टीम व आबकारी टीम विश्वास करके गना बाजार पहुंचे, देशी शराब दुकान गना के अन्दर पहुंचकर अपना परिचय देते हुये मौके पर उपस्थित विक्रेता जोखन उर्फ जोखई यादव पुत्र राम दुलार यादव नि० चकगंजली शाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ से पूछताछ किया गया, विक्रेता से अनुज्ञापन व स्टाक रजिस्टर के बारे में पूछा गया तो प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा , दुकान पर रखी मदिरा के स्टाक का सुक्ष्मता पूर्वक परीक्षण करने पर दुकान के एक कोने में एक पेटी में 39 पच्चे रखे थे, जिस पर एक ही नं० का क्यू आर० कोड चस्पा पाये गये , पच्चे पर लगे क्यू आर कोड को जब स्कैन किया गया तो क्यू आर कोड नकली पाया गया , पच्चे पर चस्पा लेवल पर ब्रान्ड बुलेट नं० 1 जो कि इण्डिया ग्याइकाल लि० डिस्टलरी सेक्टर 15 गोरखपुर का चस्पा पाया गया, इस सम्बन्ध में उपस्थित विक्रेता जोखन यादव से जब कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि इन्द्रजीत हरिजन के मकान में देशी मदिरा संचय हेतु गोदाम बना रखा है, उसकी निशानदेही पर इन्द्रजीत के घर की तलाशी लेने पर कुल 90 पच्चे समान क्यू आर कोड के नम्बर वाले अवैध देशी शराब पाया गया , उसके अतिरिक्त दुकान में संचित 260 पच्चे बुलेट नं० 1 व 538 पच्चे जाने मन ब्रान्ड के रैपर युक्त असली देशी शराब मदिरा भी पाया गया , बरामद अवैध देशी शराब के सम्बन्ध में जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब इस नकली शराब को दुकान मालिक रामहरख यादव पुत्र दुबराम यादव नि० नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ , नेजर सत्य नारायण यादव नि० आजमगढ़ एवं आशा यादव पत्नी स्वर्गीय अरविन्द यादव नि० चकगंज अली शाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा उक्त अवैध देशी शराब की पेटियों को मुझे देकर प्रति शीशी एक रुपया के हिसाब से देकर मदिरा दुकान गना से विक्री कराया जाता है । जिसके उपरांत जोखन उर्फ जोखई यादव विक्रेता को उसके अपराध को बताते हुये समय करीब 14.45 बजे हिरासत में लिया गया । उपरोक्त कृत के संबंध में मु०अ०सं० 136/21 धारा 420,467,468,471 IPC व 60(क) आबकारी अधि० बनाम जोखन उर्फ जोखई यादव उपरोक्त आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त जोखन उर्फ जोखई यादव उपरोक्त से की गयी पूछताछ के आधार पर वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु उनके घर व मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी कि मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त इन्द्राज s/o स्व० लक्ष्मण निवासी पचरुखवा थाना पवई जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी गना बाजार चौराहे के पास से आज दिनांक 04.10.2021 समय करीब 05.45 बजे की गयी । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. जोखन उर्फ जोखई यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. इन्द्राज पुत्र स्व० लक्ष्मण निवासी गना पचरुखवा थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

927 अदद पव्वा अवैध देशी शराब

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 136/21 धारा 420,467,468,471 IPC व 60(क) आबकारी अधि0 थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष थाना पवई बृजेश सिंह
2. उ0नि0 पवन कुमार सिंह थाना पवईमय राह
3. आबकारी निरीक्षक नीरज सिंह क्षेत्र 4 आजमगढ मय राह